

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०-03/छात्रवृत्ति(प्री एवं पोस्ट मैट्रिक)-04/2020-2573

प्रेषक,

अजय नाथ झा भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 25/10/2021

विषय:- झारखण्ड राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए वर्ष 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एवं शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-1478, दिनांक-28.07.2021, पत्रांक-1423, दिनांक-19.07.2021, पत्रांक-1731, दिनांक-13.08.2021, पत्रांक-2128, दिनांक-14.09.2021 एवं पत्रांक-2282, दिनांक-28.09.2021
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि प्रक्रियात्मक कार्रवाई हेतु ई-कल्याण पोर्टल की तिथि निम्नरूपेण विस्तारित की जाती है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	ई-कल्याण पोर्टल बन्द होने की तिथि
1	झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए वर्ष 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि।	20.11.2021
2	शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि।	20.11.2021
2	संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र-छात्राओं के आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि।	30.11.2021
3	नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि।	03.11.2021

उक्त कार्यक्रम की आम सूचना से संबंधित विज्ञापन प्रकाशन हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड के माध्यम से राज्य तथा राज्य के बाहर के समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

25/10/21

(अजय नाथ झा)

सरकार के अपर सचिव।